

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 00062/2023

बलवंत राम

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव राजस्व विभाग, जयपुर।
2. राजस्व मंडल जरिये रजिस्ट्रार राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान।
3. उप निदेशक राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान।
4. कलेक्टर हनुमानगढ राजस्थान।
5. प्रमीला तरड (टी.आर.ए.) कलेक्टरेट, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.1.2023

आदेश की दिनांक : 19.01.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में टी.आर.ए. के पद पर रावतसर हनुमानगढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मीर्जेवाला श्रीगंगानगर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का कथन है अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को पदस्थापित किया गया है तथा अपीलार्थी का बार-बार स्थानांतरण ही नहीं बल्कि बहुत दूर भी हुआ है। अतः इससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित () करने के उद्देश्य से किया गया है। उनका स्थानांतरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा

तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को टी.आर. ए. के पद पर रावतसर हनुमानगढ में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन टी.आर.ए. के पद पर रावतसर हनुमानगढ में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर 1991 एस.सी 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानांतरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है:—

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at on place or the other, he is liable to be transferred from on place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानांतरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है इस कारण स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि:—

*"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same*

*cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य